<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 67/17 GCMS NO 2017/00095

कजोड पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी महरावण्ड तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. [illegible]दरी पुत्र श्योनारायण जाति मीना निवासी महरावण्ड तहसील बामनवास
2. लैण्ड होल्डर एवं उप पंजीयक जरिये नायब तहसीलदार बरनाला
3. लैण्ड होल्डर एवं उप पंजीयक जरिये तहसीलदार बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 70/14 निर्णय दिनांक 26.5.16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री तरूण शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री कोई उपस्थित नही।

दिनांक 01.05.2026

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 26.5.16 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में सायल/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम महरावण्ड तहसील बामनवास के हाल आराजी खसरा न0 55 रकबा 0.73 है0, 57 रकबा 0.62 है0, 58 रकबा 0.71 है0, 64 रकबा 2. 94 है0, 356 रकबा 0.07 है0, 379 रकबा 0.16 है0, 380 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.39 है0 पर सायल व गैरसायल संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। सायल एवं गैरसायल संख्या 1 ही परिवार के व्यक्ति है उक्त समस्त आराजी का बाहमी बंटवारा हिस्सा 1/2 व 1/2 कर अपने बुजर्गो के समय से ही काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। अन्य किसी दीगर का इस आराजी से कोई वास्ता नही है। उक्त विवादित आराजी मे हाल खसरा न0 64 रकबा 2.94 है0 के अतिरिक्त अन्य पर स[illegible]ल व गैरसायल संख्या 1 ने के.सी.सी. उठा रखी है। बाहमी बंटवारे के मुताबिक उक्त आराजीयात मे सायल को 2 बीघा भूमि कम मिली है। इस बारे मे गैरसायल संख्या 1 से जब भी चर्चा हुई तो कोर्ट मे बंटवारा कराने की कहकर टालता रहा। सायल ने गैरसायल संख्या 1 को कई बार सीमाज्ञान कराने को कहा तो वह टालता रहा। मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सा 1/2 होने के बाद भी सायल को उक्त आराजीयात मे 2 बीघा रकबा कम मिला है। सायल व गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है। यह है कि गैरसायल संख्या 1 के मन मे बदनियती आ गई है। अतः बिना बंटवारा किये उक्त आराजी को व्यय करने पर उतारू है। आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हाल खसरा न0 64 रकबा 2.94 है0 जो कि बैक के रहन नामे से बाहर है। उक्त आराजी खसरा न0 64 रकबा 2.94 है0 बाबत व अन्य आराजीयात बाबत विकय हेतु उतारू हो रहा है। अतः न्यायहित मे गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि आराजी खसरा न0 55 रकबा 0.73 है0, 57 रकबा 0.62 है0, 58 रकबा 0.71 है0, 64 रकबा 2.94 है0, 356 रकबा 0.07 है0, 379 रकबा 0.16 है0, 380 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.39 है0 वाके ग्राम महस्वण्ड तहसील बामनवास के सायल के अपने हिस्से 1/2 के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करे, न ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजीयात को किसी प्रकार से रहन बय नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से सायल/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को जरिये रजि0 नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 बाबजूद सूचना के उपस्थित नही होने से बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यो व विधि के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का बिना न्यायपूर्ण अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दुओ की अनदेखी कर प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर बिना गौर फरमाये कि उक्त भूमि के सबंध मे विभाजन का वाद न्यायालय के समक्ष ही विचाराधीन था तथा दौराने दावा सम्पति की सुरक्षार्थ भूमि की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक है तथा उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र सायल खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। सायला वादग्रस्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा इस कारण प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष मे बखूबी साबित होने के बाबजूद अधिनस्थ ने प्रार्थना पत्र सायल खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है जो निरस्तनीय है। रेस्पो0 वादग्रस्त भूमि को बिना विभाजन रहन बय पर उतारू है तथा यदि रेस्पो0 ने दौराने दावा भूमि को रहन बय कर दिया तो वाद की वाहुलता बढेगी व इस कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष मे होने के बाबजूद प्रार्थना पत्र सायला खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक विवेचन प्रार्थना पत्र सायल सरसरी तौर पर खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है जो निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 6.11.15 को बहस हो पत्रावली दिनांक 19.11.15 को आदेश हेतु नियत की गई। किन्तु उसके 6 माह बाद तक उक्त प्रकरण मे कोर्ट आदेश नही सुनाया गया तथा दिनांक 2.5.16 को पत्रावली दिनांक 26.5.16 को साचौली केम्प मे समझाईश व राजीनामा हेतु नियत की गई उसके वाद उक्त प्रकरण को बिना अपीलांट को सुने एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

तरफा मे प्रार्थना पत्र टी आई खारिज करने मे भारी विधिक भूल की है। जो निरस्तनीय है। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट को सुने व एक तरफा मे बिना न्यायिक प्रकिया अपनाये फैसल किया गया है जो खारिज किया जावे। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.5.16 निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुताविक अनुतोष स्वीकार किया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात 55 रकबा 0.73 है0, 57 रकबा 0.62 है0, 58 रकबा 0.71 है0, 64 रकबा 2.94 है0, 356 रकबा 0.07 है0, 379 रकबा 0.16 है0, 380 रकबा 0.16 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 5.39 है0 वाके ग्राम महरावण्ड तहसील बामनवास अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जो जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के अवलोकन से स्पष्ट है। जिसमे अपीलांट/सायल का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय मे पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस टी आई दिनांक 6.11.15 को सुनी गई है तथा निर्णय अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 की अनुस्थिति मे किया गया है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से होती है। आदेशिका दिनांक 26.5.16 मे पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत सांचोली मे पेश होना तथा सायल व गैरसायल के उपस्थित नही होने का अंकन है तथा निर्णय दिनांक 26.5.16 के आपरेटिव भाग मे सायल एवं गैरसायल को सुना गया एवं समझाया गया , का अंकन है। इस प्रकार उक्त दोहरी प्रविष्टि का अंकन संदेहाप्रद है। इस प्रकार उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस टी आई पर दिनांक 6.11.15 को सुनी गई है तथा बहस सुनने के पश्चात निर्णय लगभग 6 माह पश्चात किया गया है जबकि बहस भी उन्ही पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनी गई है जिनके द्वारा प्रकरण का निर्णय किया गया है जबकि कानूनन बहस सुनने के एक माह की अवधि के अन्दर निर्णय पारित करना होता है। उपरोक्त विवेचन से अपीलाधीन निर्णय संदेहाप्रदा प्रतीत होता है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 70/14 मे पारित निर्णय दिनांक 26.5.16 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण मे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 02.06.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर